न्यायालय-अपर सेशन न्यायाधीश रामगंजमण्डी, जिला-कोटा (राज.)

Present : **Shailesh Jaria (R.J.S.) D.J.Cadre**
Date of the Judgement : 10.07.2026
Session Case No. 22/2019
(Details of FIR No. 57/2019 PS Suket, Distt. Kota

Complainant	State of Rajasthan
PRESENTED BY	अपर लोक अभियोजक, राज.राज्य
APPEALLANT/ACCUSED	1. रामस्वरूप पुत्र भैलाल, 2. दुर्गाशंकर पुत्र कालूलाल, 3. रणजीत धाकड़ पुत्र रमेशचंद धाकड़, 4. मनोज धाकड़ पुत्र रमेशचंद धाकड, 5. कलावती बाई पुत्री प्रभूलाल धाकड़, 6. श्रीमती मांगी बाई पत्नी चतुर्भुज धाकड़, निवासीगण अमृतखेडी थाना सुकेत जिला कोटा राजस्थान
REPRESENTED BY	श्री गौरव जैन, अधिवक्ता अभियुक्तगण

B

Date of Offence	26.02.2019
Date of FIR	26.02.2019
Date of Charge sheet	03.05.2019
Date of Framing of Charges by trial court	28.10.2021
Date of commencement of evidence	07.12.2021
Date on which judgment is reserved	Nil
Date of the Judgment by trial court	-
Date of the Sentencing Order, if any	-

PART-II

LIST OF PROSECUTION/DEFENCE/COURT WITNESSES

A. Prosecution

Rank	Name	Nature of Evidence (Eye Witness, Police Witness, Witness, Medical Witness,

सत्यापित प्रति

		Witness, Other Witness)
P.W.1	कालू	ताईद घटना
P.W.2	रमेश	फर्द फोटोग्राफी
P.W.3	सुनीता कुमारी	पंचनामा लाश
P.W.4	नरेश कुमार	ताईद घटना, फर्द पंचायतनामा, सुपुर्दगीलाश
P.W.5	प्रेम बाई	ताईद घटना
P.W.6	सीमा बाई	ताईद घटना
P.W.7	रामकिशन	ताईद घटना
P.W.8	प्रहलाद	ताईद ताईद घटना, नक्शा मौका, फर्द फोटोग्राफ
P.W.9	शंभुदयाल	ताईद घटना
P.W.10	हंसराज	ताईद घटना
P.W.11	लोकेश	ताईद घटना
P.W.12	सुरेश रेगर	फर्द फोटोग्राफी
P.W.13	यशवंत	फर्द जब्ती कुल्हाडी
P.W.14	पप्पू शेषमा	फर्द जब्ती कुल्हाडी
P.W.15	मुकेश	फोटोग्राफी करना
P.W.16	संजय	माल एफएसएल में जमा कराना
P.W.17	पतराम	मालखाना इंचार्ज
P.W.18	गोविन्द सिंह	पंचनामा बनाना व पोस्टमार्टम करवाना
P.W.19	रोहित कटारा	फर्द फोटोग्राफी
P.W.20	मोहन सिंह	द्वितीय अनुसंधान अधिकारी एवं चार्जशीट
P.W.21	भारत सिंह	प्रथम अनुसंधान अधिकारी
P.W.22	शेर सिंह जाखड	एफएसएल रिपोर्ट
P.W.23	डॉ.के.एन.वशिष्ट	एफएसएल रिपोर्ट

B. Defence Witnesses, if any:

Rank	Name	Nature of Evidence(Eye Witness, Police

		Witness, Expert Witness, Medical Witness, Panch Witness, Other Witness)
1.	निल	

C. Court Witnesses, if any:

Rank	Name	Nature of Evidence(Eye Witness, Police Witness, Expert Witness, Medical Witness, Panch Witness, Other Witness)
1.	निल	निल

LIST OF PROSECUTION/DEFENCE/COURT EXHIBITS

A. Prosecution:

Sr. No.	Exhibit Number	Description
1.	Exhibit P.1	फर्द पंचायतनामा
2.	Exhibit P.2	फर्द नक्शा मौका
3.	Exhibit P.3	फर्द फोटोग्राफी शमशान मृतका बसन्ती बाई
4.	Exhibit P.4	फर्द सुपुर्दगी लाश
5.	Exhibit P.5	फर्द फोटोग्राफी शमशान घाट
6.	Exhibit P.6	फर्द फोटोग्राफी घटनास्थल
7.	Exhibit P.7 से 21	फोटोग्राफ्स
8.	Exhibit P.22	फर्द सूचना अभियुक्त रामस्वरूप
9.	Exhibit P.23	फर्द जब्ती कुल्हाडी
10.	Exhibit P.24	फर्द जब्ती एक शर्ट मुलजिम रामस्वरूप
11.	Exhibit P.25	फर्द नक्शा बरामदगीस्थल
12.	Exhibit P.26	फर्द गिरफ्तारी रामस्वरूप
13.	Exhibit P.27	फर्द सूचना अभियुक्त रामस्वरूप
14.	Exhibit P.28	रोजनामचा रपट
15	Exhibit P.28	थाना सुकेत द्वारा पुलिस अधीक्षक को लिखा पत्र
16	Exhibit P.29	अग्रेषण पत्र
17	Exhibit P.30	जमा माल रसीद

18	Exhibit P.31	रोजनामचा रपट
19	Exhibit P.32 ए	मालखाना रजिस्टर की प्रति
20	Exhibit P.33	रोजनामचा रपट
21	Exhibit P.34	तहरीरी रिपोर्ट
22	Exhibit P.35	पोस्टमार्टम रिपोर्ट
23	Exhibit P.36	प्रथम सूचना रिपोर्ट
24	Exhibit P.36	फर्द जब्ती गुदडी का काटा हुआ खून आलूदा कपडा
25	Exhibit P.37-39	रोजनामचा रपट
26	Exhibit P.37	एफएसएल रिपोर्ट
27	Exhibit P.40.45	चिट माल मार्क ए,बी,सी,डी,ई,एफ
28	Exhibit P.46	एफएसएल रिपोर्ट

B. Defence:

S.No.	Exhibit Number	Description
01	Exhibit D.1	पुलिस बयान गवाह नरेश
02	Exhibit D.2	पुलिस बयान गवाह प्रहलाद

C. Court Exhibits:

S.No.	Exhibit Number	Description
	निल	

D. Material Objects:

S.No	Exhibit Number	Description
1	आर्टिकल 1	खून आलूदा कपडे का टुकडा
2	आर्टिकल 2	सेम्पल कपडे का टुकडा
3	आर्टिकल 3	स्कार्फ
4	आर्टिकल 4	साडी
5	आर्टिकल 5	कुल्हाडी

सत्यापित प्रति

6	आर्टिकल 6	शर्ट

01. पुलिस थाना सुकेत, जिला कोटा की ओर से उपरोक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 302, 201 भारतीय दण्ड संहिता में आरोप पत्र दिनांक 03.05.2019 को न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रामगंजमंडी, जिला कोटा में प्रस्तुत किया गया जो अनन्यतः सेशन विचारणीय होने से उपार्पित होकर दिनांक 17.05.2019 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर नियमानुसार सेशन प्रकरण संस्थित हुआ।

02. अभियोजन कहानी के अनुसार प्रकरण के सुसंगत एवं संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 26.02.2019 को परिवादी रामस्वरूप ने पुलिस थाना सुकेत जिला कोटा पर एक तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि वह मोड़क गांव का रहने वाला है। उसकी बड़ी बहन बसन्ती बाई उम्र करीब 33 वर्ष की शादी करीब 15 वर्ष पूर्व रामस्वरूप पुत्र भैरूलाल निवासी अमृतखेडी थाना सुकेत से की थी। उसकी बहन के दो लड़के एक बडा लड़का रोहित उम्र करीब 13 वर्ष व छोटा लड़का लोकेश उम्र करीब 10 वर्ष के है। बड़ा लड़का रोहित काफी समय से उनके पास मोड़क ही रह रहा है व मोडक ही पढता है व छोटा लड़का लोकेश अमृतखेडी अपने माता पिता के साथ ही रहता है। आज दिनांक 26.02.2019 को प्रातः 6 बजे के करीब उसकी बहन के जेठ रमेश का फोन आया कि तुम्हारी बहन छत से गिर गई है व जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई है तो वह व उसका छोटा भाई कालू, उसके मामाजी रामकिशन जी व उन दोनों भाईयों की पत्नियां प्रेम बाई व सीमा बाई व उनके रिश्तेदार प्रहलाद जी व शंभूजी, हंसराज सभी ग्राम अमृतखेडी पहुंचे तब तक उसकी बहन बसनती बाई के ससुराल वालो ने उसे नहला धुलाकर शमशान ले जाने की पूरी तैयार कर रखी थी। उनके पहुंचेते ही उसे शमशान लेकर गये। जहां पर उसकी बहन के ससुराल वालो ने दाह संस्कार की पूरी तैयारी कर रखी थी। उसकी बहन की लाश को रती पर रखने से पहले उसका मुंह देखने व उसके शरीर पर घी लगाने के लिए जब उसके चेहरे व शरीर को देखा तो उसके बांये गाल व ललाट पर, दांये कान पर, सिर व दांये हाथ के पंजे पर धारदार हथियार के घाव थे। उसकी बहन के साथ उसके पति रामस्वरूप द्वारा रात्रि में धारदार हथियार से मारपीट कर हत्या की गई है। जब उन्होंने यह सब देखा तो उन्होंने तुरन्त उसकी सूचना जुल्मी चौकी व थाना सुकेत में की तो कुछ समय बाद ही जुल्मी चौकी व थाना सुकेत से पुलिस आ गई, जिन्होंने उसकी बहन का दाह संस्कार रूकवाकर लाश को सुकेत अस्पताल लेकर आये। उनके जंवाई रामस्वरूप द्वारा धारदार हथियार से मारपीट कर हत्या कर दी गई व इस घटना को छुपाकर उसका दाह संस्कार करने की पूरी तैयारी कर ली गई थी। यदि वह समय पर उसकी बहन की लाश को नहीं देखते तो उसकी बहन के ससुराल वाले उसका दाह संस्कार कर देते।....इत्यादि।

03. उक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना सुकेत द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 57/2019, अपराध अंतर्गत धारा 302, 201 भा.दं.सं. में दर्ज कर अनुसंधान किया गया तथा बाद अनुसंधान अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 302, 201 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर आरोप पत्र न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामगंजमंडी, जिला कोटा के समक्ष पेश किया गया, जिस पर विचारण न्यायालय द्वारा उक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त धाराओं के तहत दण्डनीय अपराध का प्रसंज्ञान लिया गया तथा मामला सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से इस न्यायालय को कमिट किये जाने पर प्रकरण इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

04. बहस आरोप सुनी गई। अभियुक्त रामस्वरूप को अपराध अन्तर्गत धारा 302, 201 भारतीय दण्ड संहिता व शेष अभियुक्तगण को अपराध अन्तर्गत धारा 201 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्तगण ने आरोपों को अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

05. अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह पी.डब्ल्यू. 1 लगायत पी.डब्ल्यू. 23 की साक्ष्य लेखबद्ध करवाई गई तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी. 1 लगायत प्रदर्श 46 तथा आर्टिकल 1 लगायत 6 को प्रदर्शित करवाया गया।

06. इसके पश्चात अभियुक्तगण के कथन अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत लेखबद्ध किये गये, जिसमें अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताया एवं कथन किया कि वह निर्दोष है, उसे झूंठा फंसाया गया है।

07. अभियुक्तगण की ओर से प्रतिरक्षा में कोई मौखिक साक्ष्य पेश नहीं की गई।

08. बहस अंतिम सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण के न्यायपूर्ण विनिश्चय हेतु न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिंदु यह है कि-

(i)	"क्या अभियुक्त रामस्वरूप ने दिनांक 26.02.2019 से पूर्व किसी समय मौजा अमृतखेडी पुलिस थाना सुकेत में अपनी पत्नी बसंती बाई पर कुल्हाडी से वार कर उसकी हत्या कारित की तथा अभियुक्त रामस्वरूप व अन्य अभियुक्तगण ने साथ मिलकर साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से मृतका बंसती बाई की लाश से निकले खून को साफ किया एवं लाश को नहला धुलाकर साक्ष्य का विलोपन किया।

(ii)	"यदि अभियुक्तगण पर उक्त आरोपित अपराध साबित होते हैं, तो उचित दण्ड क्या होगा ?"

09. उक्त विचारणीय बिन्दु के परिप्रेक्ष्य में दौराने बहस विद्वान अपर लोक अभियोजक की ओर से तर्क दिया गया कि गवाह पी.डब्ल्यू.1 कालू, पी.डब्ल्यू.4 नरेश कुमार, पी.डब्ल्यू.5 प्रेम बाई, पी.डब्ल्यू.6 सीमा बाई, पी.डब्ल्यू.7 रामकिशन, पी.डब्ल्यू.8 प्रहलाद, पी.डब्ल्यू.10 हंसराज, पी.डब्ल्यू.11 लोकेश सभी ने मुलजिम रामस्वरूप द्वारा हत्या करने तथा अन्य मुलजिमान के साथ मिलकर साक्ष्य छुपाने के प्रयास करने की साक्ष्य दी है। चश्मदीद गवाह लोकेश पी.डब्ल्यू.11 ने घटना देखना बताया है। प्रकरण में मुलजिमान की शिनाख्तगी से हत्या करने में प्रयुक्त कुल्हाडी बरामद की गई है। एफएसएल रिपोर्ट में खून के धब्बे कुल्हाडी पर पाये गये है तथा अभियोजन ने शेष समस्त कड़ियां साबित की है। अतः अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किये जाने का निवेदन किया।

10. इसके विपरीत अधिवक्ता अभियुक्तगण की ओर से तर्क दिया गया कि चश्मदीद गवाह लोकेश घटना के बाद मौके पर पहुंचा था। चश्मदीद गवाह लोकेश द्वारा घटना नहीं देखी गई। अन्य गवाहान सुनी सुनाई बाते करते है। कुल्हाडी पर रक्त किसका था यह साबित नहीं है। मृत्यु का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट संबंधित चिकित्सा अधिकारी जिनके द्वारा पोस्टमार्टम किया गया है के नहीं आने से साबित नहीं है। प्रकरण में लिए गए फोटोग्राफ्स का 65 बी का प्रमाण पत्र पत्रावली में संलग्न नहीं है। अतः फोटोग्राफ्स का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सा अधिकारी को अभियोजन ने प्रस्तुत नहीं किया है, न ही उक्त चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर की पहचान न्यायालय में करवाई गई है अथवा अन्य किसी गवाह से उक्त पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्शित करवाने हेतु साक्षी पेश नहीं किया गया जो कि उक्त पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करने वाले चिकित्सा अधिकारी के साथ काम करने से लेखनी व हस्ताक्षर पहचानता हो। उक्त पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर अभियुक्त को प्रतिपरीक्षण का अवसर नहीं मिला। अन्य सुदृढ़ साक्ष्य अभियोजन ने पेश नहीं की है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध से दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया।

11. पक्षकारान के तर्कों के संदर्भ में पत्रावली का अवलोकन किया जावे तो प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण गवाह पी.डब्ल्यू.11 लोकेश है जिसे अभियोजन ने बतौर चश्मदीद साक्षी प्रस्तुत किया है। उक्त गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया

कि, "घटना के वक्त रात को 10-11 बजे मैं सो रहा था। मेरी मम्मी बसन्ती बाई को मेरे पिता रामस्वरूप ने मार दिया था। मैं जब नींद से उठा तब पता लगा। मेरे पिता रामस्वरूप को कुल्हाडी से मेरी मां के एक आदा मारते हुए देखा था। मेरी मां के ललाट और हाथ में चोट आई थी। उस समय रणजीत, मेरे बडे पापा (ताउजी) कालूलाल जी और हमारे पड़ौस में रहने वाले एक अन्य वहां आ गये थे।"

12. उक्त गवाह के बयानों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि गवाह यह स्पष्ट नहीं करता है कि जब वह सो रहा था तो उठा कैसे। गवाह का यह कथन कि जब वह उठा तो उसकी मम्मी बसन्ती बाई को पिता रामस्वरूप ने मार दिया तथा जब नींद से उठा तो पता लगा। अतः मृत्यु नींद से उठने से पूर्व ही हो चुकी थी। गवाह का यह कथन है कि उसके द्वारा एक आधा मारते हुए देखा गया, यह विरोधाभासी कथन हो जाता है, क्योंकि जब मृत्यु हो गई एक आधा मारते हुए देखने का बयान संदेहास्पद हो जाता है। जिरह में गवाह कथन करता है कि जब घटना घटित हुई तब वह सो रहा था जब उठा तब मां लेटी हुई थी। अतः गवाह द्वारा घटना नहीं देखी गई। गवाह जिरह में यह कथन करता है कि घटाना के 15-20 मिनट बाद वह उठा था। अतः यह स्पष्ट है कि घटना घटित होने के बाद में गवाह उठना बताता है। अतः उक्त गवाह घटना का चश्मदीद गवाह नहीं है। गवाह द्वारा उक्त घटना की जानकारी अपनी माता के दाग के बाद घर पर आने के पश्चात इतने लम्बे समय तक किसी को नहीं दी जो कि उक्त गवाह के बयानो की सत्यता पर गंभीर संदेह उत्पन्न करता है। गवाह के बयान सुदृढ़ एवं विश्वसनीय नहीं है तथा अप्राकृतिक रूप से दिये गये है।

13. इसके अतिरिक्त अन्य गवाहान की साक्ष्य का अवलोकन किया जाए तो पी.डब्ल्यू.1 कालू ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि, "रामस्वरूप के बडे भाई का फोन मेरे पास तथा मेरे भाई के पास आया कि तुम्हारी बहिन ऊपर से गिर कर शांत हो गई है।....मुलजिम के घरवालो ने तो बताया था कि वह ऊपर से गिर गयी थी तथा गांव वालो तथा परिवार वालो ने भी ऊपर से गिरना ही बताया था।" जिरह में गवाह ने कथन किया कि, "रिपोर्ट कराने मैं भी गया था। सब गांव वाले यही बात कर रहे थे कि ऊपर से गिर कर मरी है।....मृतका के पति मुलजिम रामस्वरूप से मेरी कोई बात नहीं हुई उसने मुझे कुछ नहीं बताया।....यह कहना सही है कि यहां घटनास्थल व शमशान में जितने भी व्यक्ति थे सबने यही बताया था कि मृतका की मृत्यु ऊपर से गिरने के कारण हुई है और इस कारण ही उसके चोटें आई है।" तथा गवाह पी.डब्ल्यू.4 नरेश कुमार ने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि, "आज से करीब 4 साल पहले सुबह 6 बजे करीब जब मैं घर पर था तो मेरे पास हंसराज का फोन आया था कि बसन्ती बाई की गिरने से मौत हो गयी है, जहां हमें चलना है। हंसराज के साले मोड़क निवासी कालू का फोन इस बाबत हंसराज के पास आया था।" जिरह में कथन किया कि, "मेरे पास देवली से हंसराज का फोन आया था तथा गवाह

पी.डब्ल्यू.5 प्रेम बाई ने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि, "सुबह छः बजे मेरे पति के फोन पर बसंती बाई के जेठ का फोन आया जिसने बताया कि बसन्ती बाई की छत से गिरने के कारण मौत हो गई है।" पी.डब्ल्यू.6 सीमा बाई ने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि, "आज से करीब तीन साढे तीन साल पहले सुबह छः बजे बसंती के जेठ मेरे जेठ के फोन पर आया और उसने बताया कि बसंती बाई ऊपर से गिर कर मर गई है।...दुर्गालाल जी व मनोज और ताउजी वगैरा ने हमें वहां पर यह बताया था कि बसंती बाई को कुल्हाडी से काट कर मार डाला गया है।" इसी प्रकार गवाह पी.डब्ल्यू.7 रामकिशन ने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि, "आज से करीब तीन साढे तीन साल पहले रामस्वरूप के भाई का फोन मेरे भांजे रामस्वरूप के फोन पर आया जिसने बताया कि बसंती बाई ऊपर से गिर कर मर गई है।" गवाह पी.डब्ल्यू.8 प्रहलाद ने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि, "सुबह साढे छः सात बजे के करीब मेरे पास नरेश का फोन आया था जिसने बोला कि मेरी मौसी की लड़की की सीढ़ियों से गिरने से मृत्यु हो गई है। नरेश को यह बात हंसराज ने बताई थी।....दुर्गालाल, रणजीत जी, मनोज जी इन लोगों ने हमें बताया कि सीढ़ियों से गिरने से बसंती बाई की मौत हो गई है इन लोगो ने बात को छुपाने की कोशिश की।" पी.डब्ल्यू.9 शंभूदयाल ने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि, "आज से लगभग 3 साल पहले सुबह 6 बजे मेरे पास मेरे बडे भाई प्रहलाद का फोन आया था और कहा था कि अपनी मौसी की लड़की बसन्ती बाई की छत से गिर जाने से मृत्यु हो गयी है। प्रहलाद जी को यह बात नरेश जी ने फोन पर बतायी थी।" तथा पी.डब्ल्यू.10 हंसराज ने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि, "उस समय मेरे साले कालू जी का फोन आया था जिससे सूचना प्राप्त हुई कि बहिन सीढ़ियों से गिर गई है।"

14. उपरोक्त समस्त गवाहान की उपरोक्त इबारतों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि गवाहान घटना की जानकारी सुनी सुनाई बातों के आधार पर बताते है। किसी भी गवाह को घटना की सुदृढ़ एवं विश्वसनीय जानकारी नहीं है। गवाह एक दूसरे को एक दूसरे से जानकारी होना बताते हैं। गांव के व्यक्तियों से जानकारी होना बताती हैं जो कि किसी भी प्रकार से आलिप्तकारी साक्ष्य नहीं मानी जा सकती। प्रकरण में उपरोक्त साक्ष्य के अनुसार गवाह पी.डब्ल्यू.4 नरेश कुमार के पास हंसराज का फोन आया। हंसराज के पास कालू का फोन आया। कालू के पास मुलजिम रामस्वरूप के बडे भाई का फोन आया। प्रेम बाई के पास भी रामस्वरूप के बडे भाई का फोन आया। ऐसा ही पी.डब्ल्यू.6 सीमा बाई ने कहा है। पी.डब्ल्यू.7 रामकिशन रामस्वरूप के भाई का फोन आना बताता है। रामस्वरूप का बडा भाई प्रकरण में न गवाह है न मुलजिम है। अतः प्रकरण की समस्त कड़ियां जो पूर्व से कमजोर है वह भी विश्वसनीय तरीके से साबित नहीं हुई है।

15. इसके अतिरिक्त अन्य साक्ष्य का अवलोकन किया जाए तो पी.डब्ल्यू.4 नरेश कुमार ने जिरह में कथन किया कि, "यह सही है कि मैंने पुलिस बयान प्रदर्श डी-1 में रोहित द्वारा मृतका के घी लगाये जाने वाली बात नहीं बतायी अजखुद कहा कि लोकेश द्वारा घी लगाने वाली बात बतायी थी। यह सही है कि प्रदर्श पी-1 में लोकेश द्वारा घी लगाने वाली बात नहीं बतायी थी आज बता रहा हूँ।" अतः उक्त गवाह उक्त महत्वपूर्ण तथ्यों को अपने पुलिस बयान में नहीं बताता है। गवाह पी.डब्ल्यू.5 प्रेम बाई ने जिरह में कथन किया कि, "हम तीसरे में जाकर आए थे राजीखुशी तीसरा हुआ था।....मैं गृहणी हूँ घर पर ही रहती हूँ मेरी किसी से भी बातचीत नहीं हुई।" अतः उक्त गवाह तीसरा भी राजीखुशी से होना बताती है। पी.डब्ल्यू.6 सीमा बाई जिरह में कथन करती है कि, "हम तीसरे में गए थे तीसरा भी राजीखुशी हुआ था।" अतः जहां हत्या पर संदेह हो वहां पर तीसरा राजीखुशी से होना गवाहान के बयानों पर संदेह उत्पन्न करता है।

16. नक्शा मौका प्रदर्श पी-2 के दोनों गवाह प्रहलाद व कालूराम चश्मदीद गवाह नहीं है। दूसरो के बताये अनुसार घटनास्थल बताते है। जहां तक फर्द फोटोग्राफी शमशान रथी स्थल प्रदर्श पी-3, फर्द फोटोग्राफी शमशान घाट अमृतखेडी प्रदर्श पी-5, फर्द फोटोग्राफी घटनास्थल प्रदर्श पी-6 व मृतका की फोटोग्राफस प्रदर्श पी-7, पी-8, घटनास्थल के फोटोग्राफस प्रदर्श पी-9 व पी-10, मृतका के फोटोग्राफ्स प्रदर्श पी-11 व पी-12, घटनास्थल के फोटोग्राफ्स प्रदर्श पी-13 लगायत पी-16 व शमशान स्थल के फोटोग्राफ्स प्रदर्श पी-17 लगायत पी-21 का प्रश्न है। उक्त संदर्भ में प्रदर्श पी-3 के गवाह पी.डब्ल्यू.2 रमेश जिसके समक्ष उक्त फोटोग्राफ्स की फर्द बनाई गई, ने जिरह में हस्ताक्षर सुकेत थाने में किया जाना बताया है। किन कागजो पर हस्ताक्षर किये और कौन-कौन से कागज थे यह भी पता नहीं होना बताया है। इसी प्रकार पी.डब्ल्यू.12 सुरेश रेगर जिसके द्वारा फर्द फोटोग्राफी प्रदर्श पी-3 पर हस्ताक्षर किये गये है व फोटोग्राफ्स प्रदर्श पी-7 लगायत पी-21 की फोटोग्राफी की गई, ने जिरह में कथन किया कि, "मैंने कोई नेगेटिव नहीं दी थी। मैंने तो केवल फोटो ही दिए थे।" उक्त गवाह द्वारा उक्त फोटोग्राफ्स के संदर्भ में 65 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः उक्त फोटोग्राफ्स आलिप्तकारी साक्ष्य की श्रैणी में नहीं माने जा सकते है।

17. इसी प्रकार गवाह पी.डब्ल्यू.15 मुकेश जिसके द्वारा एण्ड्रोईड मोबाईल से मुलजिम रामस्वरूप के मकान ग्राम अमृतखेडी में विभिन्न एंगलो से फोटोग्राफी की व फर्द फोटोग्राफी प्रदर्श पी-6 बनाई तथा फोटोग्राफ्स प्रदर्श पी-9, पी-10, पी-12 लगायत पी-16 लिए गए तथा स्वयं की जेब में जाकर मोबाईल से फोटो निकलवाये गये, ने जिरह में कथन किया कि, "यह कहना सही है कि फोटोग्राफ्स पर किसी पर भी मेरे

हस्ताक्षर नहीं है। यह कहना सही है कि ना तो जिस मोबाईल से मैने फोटो लिए उसे जप्त किया ना ही चिप जप्त की। यह सही है कि मैंने 65 बी का प्रमाण पत्र नहीं दिया।" अतः उक्त गवाह द्वारा भी धारा 65 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र नहीं दिये जाने से उक्त फोटोग्राफ्स मुलजिम के विरूद्ध आलिप्तकारी साक्ष्य नहीं माने जा सकते है।

18. इसी प्रकार गवाह पी.डब्ल्यू.19 रोहित कटारा ने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि, "मैं दिनांक 26.02.2019 को थाना सुकेत चौकी जुल्मी पर कांस्टेबल के पद पर कार्यरत था। उस दिन मेरे द्वारा शमशान घाट अमृतखेडी जोगनखेडी में मृतका श्रीमती बसंती बाई की लाश की तथा मौके की फोटोग्राफी की गई थी। फोटोग्राफी मैंने अपने स्वयं के एंड्रोयड मोबाईल से की थी। फर्द फोटोग्राफी प्रदर्श पी-5 पर ई से एफ मेरे हस्ताक्षर है। फोटोग्राफ्स प्रदर्श पी-7, प्रदर्श पी-11, प्रदर्श पी-17, प्रदर्श पी-18, प्रदर्श पी-19, प्रदर्श पी-20, प्रदर्श पी-21 मेरे द्वारा अपने मोबाईल से खींचे गये थे।" अतः उक्त गवाह द्वारा भी धारा 65 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। न ही न्यायालय में मोबाईल से संबंधित चिप, सिम, मेमोरी कार्ड ही प्रस्तुत किये गये है। अतः उक्त फोटोग्राफ्स भी मुलजिम के विरूद्ध आलिप्तकारी साक्ष्य की श्रेणी में नहीं माने जा सकते हैं।

19. प्रकरण में मुलजिम की सूचना व निशादेही से आलाय कत्ल एक कुल्हाडी जब्त की गई जिसकी फर्द प्रदर्श पी-23 बनाई गई। मुलजिम की एक शर्ट प्रदर्श पी-24 मुलजिम के घर से बरामद करना बताया गया। कुल्हाडी जब्ती के दो गवाहों में से एक गवाह पी.डब्ल्यू.13 यशवंत व पी.डब्ल्यू.14 पप्पू शेषमा जिसमें से गवाह पी.डब्ल्यू.13 यशवंत ने जिरह में कथन किया कि, "जिस दिन मैं मुलजिम के घर जाना बताता हूँ उस दिन मुलजिम का घर खुला हुआ था। यह मैं आज नहीं बता सकता कि मुलजिम के घर पर कितनी स्त्रीयां व कितने पुरूष उस समय मौजूद थे।...यह कहना सही है कि जिस कमरे में गए थे वह कमरा लॉक नहीं था। यह कहना सही है कि अगर कमरा लॉक ना हो तो घर का कोई भी सदस्य कमरे में आ जा सकता है।....यह कहना सही है कि जिस जगह हम गए थे उस जगह के स्वामित्व संबंधित कोई दस्तावेज हमने प्राप्त नहीं किए। यह कहना सही है कि जिस जगह हम जाना बताते है उस जगह के सरपंच या सरकारी कर्मचारी को गवाह के लिए नहीं बुलाया।" तथा दूसरे गवाह पी.डब्ल्यू.14 पप्पू शेषमा ने जिरह में कथन किया कि, "जिस दिन मैं मुलजिम के घर जाना बताता हूँ उस दिन मुलजिम का घर खुला हुआ था।....उस कमरे में क्या क्या सामान रखे हुए थे यह भी मैं आज नहीं बता सकता लेकिन खेती के औजार रखे हुए थे। यह मैं नहीं बता सकता कि जब्तीस्थल पर कोई भी आ जा सकता हो या नहीं। यह कहना सही है कि जिस कमरे में गए थे वह

कमरा लॉक नहीं था। उसी प्रकार जिस दूसरे कमरे में जाना बताता हूँ उस कमरे का दरवाजा पूरब दिशा में था।....यह कहना सही है कि जिस जगह हम गए थे उस जगह के स्वामित्व संबंधित कोई दस्तावेज हमने प्राप्त नहीं किए। यह कहना सही है कि जिस जगह हम जाना बताते है उस जगह के सरपंच या सरकारी कर्मचारी को गवाह के लिए नहीं बुलाया।" तथा अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू.21 भारत सिंह ने जिरह में कथन किया कि, "जिस जगह मैं कुल्हाडी जब्त करना बताता हूँ वह जगह लॉक्ड नहीं थी, वहां पर बाहर की कुंदी लगी हुई थी, मुलजिम द्वारा कुंदी खोलकर अंदर प्रवेश कर मुझे कुल्हाडी पेश की थी।....यह कहना सही है कि प्रदर्श पी-23 फर्द जब्ती कुल्हाडी में कमरे की कुंदी लगी हुई हो जिसे मुलजिम ने खोला हो ऐसा कोई उल्लेख नहीं है।
प्रश्न- कुंदी लगने वाली बात और मुलजिम द्वारा कुंदी खोली गयी है यह तथ्य आज आपने पहली बार न्यायालय के समक्ष कहा है ?
उत्तर- मेरे द्वारा न्यायालय में अधिवक्ता द्वारा पूछने पर कुंदी लगी वाली बात उत्तर में दी है लेकिन कुंदी का उल्लेख जब्ती में नहीं है।
यह सही है कि कुल्हाडी की जब्ती के स्थान का स्वामित्व दस्तावेज प्राप्त नहीं किये लेकिन उसके अंदर रामस्वरूप मय परिवार के निवास करता था। उस मकान में कितने कमरे बने हुए थे आज मैं नहीं बता सकता था। उस पूरे पोर्शन में रामस्वरूप मय परिवार के ही निवास करता था।"

20. अतः उक्त बयानो के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि कुल्हाडी जब्ती का स्थान मात्र मुलजिम के चेतन्य आधिपत्य का स्थान नहीं था तथा उक्त स्थान पर सामान्य तौर पर खेती के औजार रखे हुए थे, स्थान खुला था। उक्त स्थान के स्वामित्व के कोई दस्तावेज प्राप्त नहीं किये गये तथा जब्ती स्थान मुलजिम के चैतन्य आधिपत्य का हो इस संदर्भ में आस-पडौस के, क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के बयान भी नहीं कराये गये। इसी प्रकार शर्ट की जब्ती जो मुलजिम के निवास स्थान से अभियोजन जब्त करना बताता है वह भी स्थान मुलजिम चैतन्य आधिपत्य का हो ऐसा नहीं माना जा सकता है। उक्त संदर्भ में एफएसएल रिपोर्ट का अवलोकन किया जाए तो एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी-46 में मुलजिम की शर्ट व कुल्हाडी पर मानव रक्त पाया गया लेकिन उक्त मानव रक्त मृतका का ही हो यह तथ्य एफएसएल रिपोर्ट में नहीं पाया गया है। अतः उपरोक्त विवेचन से उक्त कुल्हाडी जब्ती व मुलजिम की शर्ट की जब्ती से मुलजिम रामस्वरूप के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई आलिप्तकारी साक्ष्य प्राप्त नहीं होती है।

21. पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बनाने वाले चिकित्सा अधिकारी की मृत्यु हो जाने से उक्त चिकित्सा अधिकारी न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके जिससे बयान लेखबद्ध नहीं किये जा सके। अतः मृत्यु का कारण बाबत मुलजिम को उक्त

पोस्टमार्टम पर प्रतिपरीक्षण करने का अवसर नहीं मिला। वस्तुतः मृत्यु गिरने से हो सकती हो व धारदार वस्तु रखी जगह गिरने से उक्त चोट संभव हो तो उक्त संदर्भ में अधिवक्ता अभियुक्त ने जाहिर किया कि उक्त संदर्भ में अभियुक्त को प्रतिपरीक्षण का अवसर नहीं मिला। अतः मुलजिम को पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर प्रतिपरीक्षण का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। न ही अभियोजन ने उक्त पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्शित कराने हेतु अन्य किसी साक्षी को प्रस्तुत किया जो कि उक्त पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने वाले चिकित्सा अधिकारी के साथ काम करने से लेखनी व हस्ताक्षर पहचानता हो। अतः उपरोक्तानुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट का निष्कर्ष संदेह से परे साबित नहीं माना जा सकता।

22. जहां तक धारा 201 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध का प्रश्न है तो उक्त संदर्भ में मृतका को नहलाया-धुलाया गया हो, दाग धब्बे साफ किये गये हो तो ऐसी कोई सुदृढ़ व विश्वसनीय साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है तथा मृतका का दाग के लिए किसने अर्थी पर चढाया और कौन लेकर जा रहे थे, ऐसी भी कोई साक्ष्य अभियोजन द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है। मृतका को मात्र शमशान में देखा गया जिसको वहां कौन लेकर आया ऐसी कोई सुदृढ़, विश्वसनीय व संदेह से परे साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अतः उपरोक्त समस्त साक्ष्य के अवलोकन, विवेचन से अभियोजन प्रकरण संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है।

उक्त सन्दर्भ में निम्न वर्णित न्यायिक दृष्टांत मार्गदर्शन हेतु उपयोगी हैं-

01. न्यायिक दृष्टांत Tukaram Vs. State of Maharashtra AIR 1979 SC 185 and Uday Vs. State of Karnataka 2003 (4) SCC 46 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि,- "However strong the moral belief and conviction of the court, unless the offence of the accused is established beyond reasonable doubt on the basis of legal evidence and material on the record, he cannot be convicted for an offence. There is an initial Suspicion, however strong it may be, cannot take the place of proof.

02. न्यायिक दृष्टांत Hanumant Govind Nargundkar Vs. State of MP AIR 1952 SC 343 and Sharad Birdichand Sarda Vs. State of Maharastra (1984) 4 SCC 116, में यह उल्लेखित है कि, "That each circumstance alleged must be conclusively proved, that all links in the chain of circumstances must equally conclusively be established and that every circumstance so proved should unerringly and categorically prove that the accused was responsible for the

crime, and that all hypothesis of his innocence has been ruled out by the prosecution, during the trial."

03. इस संबंध में सम्माननीय न्यायिक दृष्टांत [2013] 1 SCC(Crl) 430 PUDHU RAJA VS. STATE REP. BY INSPECTOR OF POLICE में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि, "Where the omission (s) amount to a contradiction, creating a serious doubt regarding the truthfulness of a witness, and the other witness also makes material improvements before the court, in order to make the evidence acceptable, it would not be safe to rely upon such evidence. The discrepancies in the evidence of eyewitnesses, if found not to be minor in nature, may be a ground for disbelieving and discrediting their evidence. In such circumstances, the witnesses may not inspire confidence and if their evidence is found to be in conflict and contradiction with other evidence available or with a statement that has already recorded, then, in such a case it cannot be held that the prosecution has proved its case beyond reasonable doubt."

04. न्यायिक दृष्टांत 2019 (1) Crimes 28 (SC) Ashish Jain Vs. Makrand Singh and Ors. में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि, "Discrepancies and contradictions in evidence make prosecution story doubtful.

05. न्यायिक दृष्टांत 2009 (2) Supreme 175 Mahendra Pratap Singh VS State of Uttar Pradesh में यह प्रतिपादित किया गया है कि, "In Masalti v. State of U.P., (1964) 8 SCR 133 AIR 1965 SC 202 (1965) 1 Cri L 226], a five-Judge Bench of this Court has categorically observed as under: (AIR pp. 209-210, para 14) "14.... There is no doubt that when a criminal court has to appreciate evidence given by witnesses who are partisan or interested, it has to be very careful in weighing such evidence. Whether or not there are discrepancies in the evidence; whether or not the evidence strikes the court as genuine: whether or not the story disclosed by the evidence is probable, are all matters which must be taken into account."

06. न्यायिक दृष्टांत 2001 Cri.L.J. 1176 State of Rajasthan Vs. Teja singh and others. में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि, "(B) Penal Code (45 of 1860),

सत्यापित प्रति

8.300-- Murder-Appreciation of evidence--Non- corroboration of evidence of interested eye-witnesses---Acquittal of accused proper."

07. न्यायिक दृष्टांत 2019(1) Crimes 28 (SC) Ashish Jain Vs. Makrand Singh and Ors, में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि, "Discrepancies and contradictions in evidence make prosecution story doubtful.

23. पत्रावली पर उपलब्ध गवाहान के बयानों के संदर्भ में निम्नांकित न्यायिक दृष्टान्तों का अवलोकन परिप्रेक्ष्य में गवाहान के बयान विरोधाभासी व अविश्वसनीय हैं।

24. इस प्रकार अभियोजन पक्ष साक्ष्य के उपरोक्त विवेचनानुसार अभियुक्तगण के विरूद्ध इन तथ्यों को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 26.02.2019 से पूर्व किसी समय मौजा अमृतखेडी पुलिस थाना सुकेत में अपनी पत्नी बसंती बाई पर कुल्हाडी से वार कर उसकी हत्या कारित की तथा अभियुक्त रामस्वरूप व अन्य अभियुक्तगण ने साथ मिलकर साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से मृतका बंसती बाई की लाश से निकले खून को साफ किया एवं लाश को नहला धुलाकर साक्ष्य का विलोपन किया। अतः अभियुक्त रामस्वरूप अपराध अन्तर्गत धारा **302, 201** भारतीय दण्ड संहिता व शेष अभियुक्तगण अपराध अन्तर्गत धारा 201 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में दोषमुक्त किए जाने योग्य है।

- <u>आ दे श</u> -

25. परिणामतः अभियुक्तगण 1. रामस्वरूप पुत्र भैरूलाल निवासी अमृतखेडी थाना सुकेत जिला कोटा राजस्थान को अपराध अन्तर्गत धारा **302, 201** भारतीय दण्ड संहिता व अभियुक्तगण 2. दुर्गाशंकर पुत्र कालूलाल, 3. रणजीत धाकड़ पुत्र रमेशचंद धाकड़, 4. मनोज धाकड़ पुत्र रमेशचंद धाकड, 5. कलावती बाई पुत्री प्रभूलाल धाकड़ व 6. श्रीमती मांगी बाई पत्नी चतुर्भुज धाकड़, निवासीगण अमृतखेडी थाना सुकेत जिला कोटा राजस्थान को अपराध धारा **201** भारतीय दण्ड संहिता के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोप में दोषमुक्त किया जाता है। प्रकरण में जब्तशुदा कोई माल यदि कोई हो, तो उसका बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

26. अभियुक्तगण धारा 481 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत अपीलीय न्यायालय अथवा यथास्थिति उच्चतर न्यायालय में अपील होने की स्थिति

में दस हजार रूपए का मुचलका एवं इसी राशि की जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक कराए, जो निर्णय की दिनांक से 6 माह के लिए प्रवृत्त रहेगा।

27. जहां तक पीड़ित प्रतिकर दिलाये जाने का प्रश्न है। उक्त संदर्भ में पति प्रकरण में मुलजिम है गवाह लोकेश जो कि मृतका का पुत्र है, के बयान अप्राकृतिक पाये गये है तथा मृतका की मृत्यु धारदार हथियार कुल्हाडी से वार करके की गई यह प्रकरण में साबित नहीं पाया गया है। अतः पीड़ित प्रतिकर राशि दिलाए जाने की अनुशंषा नहीं की जाती है।

28. प्रकरण में जब्तशुदा कोई माल यदि कोई हो तो उसका बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

(शैलेष जड़िया)
अपर सेशन न्यायाधीश
रामगंजमंडी, जिला कोटा

29. निर्णय, आज दिनांक **10.07.2026** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर मुद्रांकित किया जाकर सुनाया गया।

(शैलेष जड़िया)
अपर सेशन न्यायाधीश
रामगंजमंडी, जिला कोटा

UMASHANKER GAUTAM

Steno Gr. Ist "Authenticate Document"
Digitally signed by UMASHANKER GAUTAM
Date: 2026.07.23 10:48:18 +0530